माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2020 को कृषि भवन में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रबी के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मलेन अभियान-2020 का कार्यवृत्त

रबी के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन अभियान, 2020 का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 21 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री **श्री नरेंद्र सिंह तोमर** ने किया और, माननीय राज्य मंत्री (एएंडएफडब्ल्यू) श्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डॉ एस. के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त को 'खरीफ समीक्षा, रबी संभावनाओं और रणनीतियों' पर एक प्रारंभिक प्रस्तुति करने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 296.65 मिलियन टन (2019-20) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर लगाया गया था। खरीफ मौसम की स्थिति का वर्णन करते समय, उन्होंने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून बहुत अनुकूल रहा है और यह सामान्य से 7.0% अधिक था। खरीफ फसलों (2020) के तहत बोए गए कुल 1113.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (18.9.20 तक) की जानकारी दी गई है, जो कि वर्ष 2016-17 के पिछले रिकॉर्ड से काफी अधिक है।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जिसमें से रबी सीजन में 151.65 मिलियन टन की उम्मीद है। रबी दलहन उत्पादन का लक्ष्य 15.00 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। जल उपलब्धता सहज स्तर पर थी क्योंकि उपलब्ध 145.80 बीसीएम का लाइव स्टोरेज कुल लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग

85.0% है। उन्होंने अनुकूल कृषि जलवायु और नीतियों के कारण लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की स्थिति पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर अग्रिम में ही आदानों की पूर्व स्थिति को राज्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने जलवायु अनुकूलन और पोषण के विशेष गुणों से युक्त चावल की परती, अंतर फसलन और उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और फसलन प्रणाली केंद्रित हस्तक्षेपों को अपनाने की सिफारिश की।

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद, सरकार ने किसानों की समग्र समृद्धि के लिए कई योजनाएं शुरू कीं जैसे कि दो अध्यादेश अर्थात कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 और एक नया कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जिसका बजट प्रावधान 1,00,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी लाभ किसानों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने उम्मीद की कि सरसों उत्पादन के लिए संवर्द्धित लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। उर्वरक जरूरतों के लिए राज्यों के आकलन पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने राज्यों से उन्नत योजना में सक्रिय होने की अपेक्षा की। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी रबी सीजन के दौरान उर्वरक कोई समस्या नहीं होगी।

श्री कैलाश चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (कृषि एवं किसान कल्याण) ने वर्ष 2019-20 के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने के लिए सभी किसानों और केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों की सराहना की और धन्यवाद दिया। यह प्रतिपादित किया गया कि कीटनाशकों का उपयोग यथासंभव कम रखा जाए। किसानों, एफपीओ, कृषि-उद्यमियों, आदि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसलोपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण में सहायता के लिए 1.0 लाख करोड़ रुपये के "कृषि अवसंरचना कोष" के तहत वित्तपोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में

एक विशेष उल्लेख किया गया था। उन्होंने उम्मीद की कि ये परिसंपत्तियां किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगी क्योंकि वे उच्च मूल्यों पर भंडारण और बिक्री करने, अपव्यय को कम करने और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। अंत में उन्होंने रबी सीजन में और वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन की कामना की।

श्री छबिलेन्द्र राउल, सचिव (उर्वरक), उर्वरक विभाग ने कृषि में सकारात्मक विकास दर हासिल करने के लिए उर्वरक और रसायन विभाग और निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया कि उर्वरकों की सभी जरूरत आधारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव (डीएआरई) और महानिदेशक (आईसीएआर) ने राय व्यक्त की कि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नए बीजों की बड़ी भूमिका है और जैव-युक्त और जलवायु अनुकूल किस्मों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीज इंडेंटस वास्तविक होना चाहिए और इंडेंटेड बीज को समय पर उठा लेना चाहिए। किसान, उद्योग और पूरे देश को लाभ प्रदान के लिए राज्य स्तर पर एक पूर्ण प्रमाणित बीज उत्पादन श्रृंखला की योजना बनाई जानी चाहिए।

श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (तिलहन) ने **आत्मनिर्भर भारत- रेपसीड-सरसों और सूरजमुखी'** पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। रबी 2020-21 के लक्ष्यों को साझा करते समय, उन्होंने उल्लेख किया कि 14.51 लाख हेक्टेयर (24.0% अधिक) का अतिरिक्त क्षेत्र को वर्ष 2018-19 में जोड़ा जाना है जिससे वर्तमान में 92.5 लाख टन के कुल उत्पादन से अधिक लगभग 125 लाख टन का कुल उत्पादन प्राप्त करने हेतु रेपसीड एवं सरसों के तहत कुल क्षेत्र 61.24 लाख हे. हो जाएगा। राज्यों को लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों (संभावित उपज> 20 क्वि./हे.) का उपयोग, महत्वपूर्ण चरणों में सिंचाई, सूक्ष्म पोषक तत्वों की समय पर व्यवस्था, मधुमक्खी पालन की व्यवस्था और समय पर कीट प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

श्री राजेश मलिक, निदेशक, पादप संरक्षण ने 'गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने' पर अपनी प्रस्तुति साझा की और उन्होंने कहा कि देश

में इस्तेमाल होने वाले जैव कीटनाशकों की मात्रा 7803.89 टन थी और इसे और बढ़ाने और देश में गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जो एक चुनौती है। राज्यों को आरकेवीवाई योजना के तहत कीटनाशक परीक्षण क्षमता का उपयोग करने, नई कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ उपलब्ध अवसंरचना में सुधार लाने के लिए भी सलाह दी गई।

श्री अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज) ने रबी 2020-21 के लिए बीज उपलब्धता की स्थिति साझा की। प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि रबी 2020-21 के लिए 197.10 लाख क्विंटल बीज की अनन्तिम आवश्यकता के प्रति, 231.66 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है। अनाज, दलहन, तिलहन, चारा और फाइबर फसलों के मामले में स्थिति को सहज बताया गया। राज्यों को 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों के उत्पादन और संवर्धन, 5 वर्षों से कम समय में जारी की गई नई किस्मों के प्रदर्शन, प्रचार और जागरूकता के लिए विस्तार गतिविधियों हेतु बीज रोलिंग योजना की तैयारी जैसी पहलों को करने के लिए कहा गया था।

श्रीमती ए. नीरजा, संयुक्त सचिव (आईएनएम) ने जैविक उत्पादन के लिए बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना, व्यक्तिगत किसानों को प्रमाणीकरण सहायता और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे के तहत एकीकृत समूहों पर जोर दिया। राज्यों को राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कार निकोबार द्वीप आदि राज्यों में सन्निहित क्षेत्र प्रमाणीकरण और jaivikheheti पोर्टल के माध्यम से मॉडल क्लस्टर के विकास, ब्रांडिंग और लेनदेन के लिए प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई थी।

डॉ. एस. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त ने कृषि के विकास के लिए 'कृषि-जलवायु क्षेत्र (एसीजेड) आधारित रणनीतिक योजना' पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्रालय ने 20 कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में देश को समूहीकृत किया है। राज्यों द्वारा गोद लेने के लिए प्रत्येक एसीजेड के लिए रणनीतिक योजना पर प्रकाश डाला गया। इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि विकास की योजना में जलवायु भेद्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वैकल्पिक फसल योजनाओं को अपनाया जाना

चाहिए। कृषि जलवायु क्षेत्र आधारित योजना पर एनबीएसएसएंडएलयूपी, नागपुर, सीआरआईडीए, हैदराबाद, आईआईएसएस, भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ जैसे आईसीएआर संस्थानों द्वारा सृजित सूचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्येक एसीजेड के लिए निर्यात संभावित फसलों की सूची बनाई और आत्मनिर्भर भारत के लिए आयात कम किया।

श्री संजय अग्रवाल, सचिव (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) ने अपनी समापन टिप्पणी में उल्लेख किया कि कोविड-19 ने देश को चुनौतियां दी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक संकेत उभर रहे हैं और गति को बनाए रखना है। खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए सरसों उत्पादन पर अब बड़ा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि हमें 125 लाख टन सरसों उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हालिया सरकारी पहल जैसे विपणन पर दो विधेयक, 10,000 एफपीओ का गठन, कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफबीवाई का क्षेत्र विस्तार आदि देश में कृषि विकास के लिए अच्छे संकेत हैं। उन्होंने रबी 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय के साथ एक टीम के रूप में काम करने के लिए राज्य के अधिकारियों को प्रेरित किया।

<u>कार्रवाई के बिंदु</u>

विभिन्न राज्यों द्वारा रबी मौसम के लिए तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुति और विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित कार्रवाई के बिंदु सामने आए:

i. सरसों और सूरजमुखी को राज्यों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें हमारी क्षमता बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए इन फसलों के तहत क्षेत्र का संवर्द्धित कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए **(कार्रवाई: सभी राज्य)**
ii. कई राज्यों ने या तो उर्वरकों की कम मांग की है या खेती के तहत अधिक क्षेत्र के कारण मांग बढ़ी है, जिससे रबी फसलों के लिए उर्वरकों की कमी हुई है। इस प्रकार, राज्यों को क्षेत्र, पिछली खपत और एसएचसी के अनुसार सिफारिश पर आधारित शुक्रवार अर्थात 25-09-2020 को आयोजित क्षेत्रीय उर्वरक सम्मेलन में विचार के लिए प्राथमिकता पर

अतिरिक्त आवंटन की मांग करनी चाहिए। **कार्रवाई, संबंधित राज्य, संयुक्त सचिव (आईएनएम)**

iii. संभावित राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नमामि गंगे ब्रांड विकास परियोजना के तहत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा कोर्स के साथ जैविक क्लस्टर विकसित किए जाने हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को इस परियोजना के तहत काम शुरू करना बाकी है। **(कार्रवाई: पश्चिम बंगाल, झारखंड)**

iv. सरसों अभियान शुरू करने के लिए, कुछ राज्यों ने उपज क्षमता> 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वाले एचवाईवी के प्रमाणित बीज की कमी का उल्लेख किया है। ऐसे राज्यों को अनुशंसित और अधिसूचित किस्मों के बीज की समय पर आपूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों से संपर्क करना चाहिए। **(कार्रवाई: झारखंड, छत्तीसगढ़, असम)**

v. राजस्थान में गेहूं और जौ के प्रमाणित बीजों का अधिशेष है। बीज की कमी वाले पड़ोसी राज्यों को इस उद्देश्य के लिए राजस्थान से संपर्क करना चाहिए। (कार्रवाई: संबंधित राज्य)

vi. महाराष्ट्र में 10 वर्षों से कम अवधि की चने के बीज की नए किस्मों की कमी है। राज्य को आपूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों से संपर्क करना चाहिए। **(कार्रवाई: महाराष्ट्र और संयुक्त सचिव (फसल)**

vii. सरसों के साथ शहद मधुमक्खी की खेती उपज बढ़ा सकती है और साथ ही शहद उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर सकती है। सिक्किम ने इस गतिविधि के तहत उच्च वास्तविक लक्ष्यों की मांग की है। अन्य राज्यों को भी सरसों और अन्य तिलहनी फसलों के साथ शहद मधुमक्खी को बढ़ावा देना चाहिए। **(कार्रवाई: सिक्किम और बागवानी प्रभाग, डीएसीएंडएफडब्ल्यू)**

viii. आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में 'ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण ईकाई' नामक योजना के तहत कोई

प्रगति नहीं की है। इन राज्यों को लाभ उठाने के लिए इस योजना पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए (**कार्रवाई : संबंधित राज्य**)

ix. गोवा, अंडमान एवं निकोबार, हरियाणा, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और दिल्ली जैसे राज्यों द्वारा बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) उपलब्धि के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इन राज्यों से शीघ्र अनुपालन करना अपेक्षित है।

x. राज्यों को संसाधन, मृदा अवक्रमण, मृदा प्रकार, आपदा के प्रति अनुकूलता के आधार पर कृषि-जलवालुवीय क्षेत्र-वार योजना अपनाई जाने की जरूरत है। **(कार्रवाई : सभी राज्य)**

रबी लक्ष्यों, बीजों, उर्वरकों और अन्य आदानों की स्थिति, विशेष मुद्दों व सरसों पर ध्यान केंद्रित करने तथा अन्य तिलहन के विवरण का संक्षिप्त सार अनुबंध II पर दिया गया है

अध्यक्ष महोदय, प्रतिभागी माननीय मंत्रियों और केंद्र, आईसीएआर व राज्य सरकारों के अधिकारियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन हुआ।

*****

अनुबंध-I

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि भवन, नई दिल्ली में
दिनांक 21 सितंबर, 2020 को आयोजित राष्ट्रीय रबी अभियान कृषि सम्मेलन में भाग लेने वाले
प्रतिभागियों की सूची

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

1. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
2. श्री कैलाश चौधरी, माननीय राज्य मंत्री
3. श्री परषोत्तमभाई रूपाला, माननीय राज्य मंत्री

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

1. श्री संजय अग्रवाल, सचिव, डीएसीएंडएफडब्ल्यू
2. डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा, सचिव, (डेयर) एवं महानिदेशक, आईसीएआर
3. श्री छबीलेंद्र राउल, सचिव, (उर्वरक)
4. श्री अशोक दलवई, सीईओ (एनआरएए)
5. श्री बी. प्रधान, एसएसएंडएफए
6. डॉ. अलका भार्गव, अपर सचिव
7. श्रीमती डॉली चक्रवर्ती, अपर सचिव
8. डॉ. एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त
9. डॉ सराबनी गुहा, वरिष्ठ, (ईएसए)
10. श्री अभिलक्ष लिखी, एएस (जीसी)
11. श्री बी. एन. श्रीनिवास, बागवानी आयुक्त
12. श्री पी.के. स्वैन, संयुक्त सचिव (विपणन)
13. श्रीमती छवी झा, संयुक्त सचिव (जीसी)
14. श्री राजबीर सिंह, (एमआईडीएच)
15. श्रीमती शुभ्रा (व्यापार)
16. श्रीमती शोमिता बिस्वास (एमएंडटी)
17. श्रीमती शुभा ठाकुर, (फसल, तिलहन)
18. श्रीमती नमिता प्रियदर्शी, संयुक्त सचिव (एनआरएम)
19. श्रीमती अलकनंदा दयाल, आई.सी. विस्तार एवं नीति)
20. श्रीमती ए. नीरजा, संयुक्त सचिव (आईएनएम)
21. डॉ आशीष के. भूटानी, संयुक्त सचिव (सीएडंसी)
22. श्री विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव (किसान कल्याण)
23. श्री अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन, बीज)
24. डॉ. प्रशांत अनमोरीकर, अपर आयुक्त (विस्तार)

25. डॉ बी.एल. सारस्वत, निदेशक
26. श्री राजेश मलिक, निदेशक (पीपी)

पीआईबी

1. अल्पना पंत शर्मा (पीआईबी, कृषि)

राज्य एवं संघ राज्य प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

1. श्री करबोम रीराम, संयुक्त निदेशक

आंध्र प्रदेश

1. श्री नीरज स्नेहा, उप निदेशक

असम

1. श्री ए. जलिल, निदेशक

बिहार

1. श्री बेंकटेश सिंह, संयुक्त निदेशक

चंडीगढ़

1. श्री मुकेश, विशेष सचिव

दिल्ली

(संयुक्त निदेशक)

गुजरात

1. श्री एम.बी. पटेल, संयुक्त निदेशक, कृषि

गोवा

2. श्री कुलदीप सिंह, सचिव

<u>हरियाणा</u>

1. डॉ अनिल कुमार राणा, एडी (कृषि)

<u>हिमाचल प्रदेश</u>

1. श्री सिद्धार्थ सिंह, बागवानी विभाग

<u>झारखंड</u>

1. श्रीमती छवि रंजन, निदेशक, कृषि

<u>कर्नाटक</u>

1. डॉ. वी. श्रीधर, प्रधान वैज्ञानिक,

<u>केरल</u>

1. श्री बाबूलाल मीणा, उप निदेशक,

<u>मध्य प्रदेश</u>

1. संयुक्त निदेशक

<u>मणिपुर</u>

1. श्री के. जोगेशचंद्र शर्मा, सलाहकार

<u>मिजोरम</u>

1. डॉ. एलिजाबेथ साईपरी, निदेशक, बागवानी,

<u>महाराष्ट्र</u>

1. श्री एकनाथ दावले, सचिव (कृषि)

<u>ओडिशा</u>

1. श्री ब्रज किशोर होटा, अधिशासी अभियंता

<u>पंजाब</u>

1. श्री विक्रम सिंह, एडीओ

पुडुचेरी

2. डॉ. जयंता कुमार रॉय, एआरसी

राजस्थान

1. श्री राम गोपाल, सचिव, (कृषि)

सिक्किम

1. श्री डी. एस. चेत्री, अपर निदेशक

तमिलनाडु

1. श्री टी. कार्तिकेयन, संयुक्त निदेशक

तेलंगाना

1. श्री के. वेणुगोपाल, उप-निदेशक

त्रिपुरा

1. श्री एस.के. राकेश, अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश

1. श्री एस.आर. कौशल, निदेशक

उत्तराखंड

1. श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक

पश्चिम बंगाल

1. श्री कौशिक चक्रवर्ती, उप निदेशक, बागवानी

अनुबंध-।।

विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट प्रगति, राय, सुझाव तथा इनके द्वारा मांगी गई सहायता

उत्तर प्रदेश

1. खरीफ कृषि के तहत क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा यही रूझान रबी मौसम में भी जारी रहेगा।
2. कृषि के तहत उच्चतर क्षेत्र के दृष्टिगत अधिक क्षेत्र आबंटित किया जा सकता है। राज्य ने तीन लाख टन यूरिया के लिए पहले ही मांग जाहिर की है।
3. राज्य लघु किसानों वाले एफपीओ को निर्मित करने का प्रयास कर रहा है तथा प्रत्येक ब्लॉक में 2 एफपीओ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
4. मृदा स्वास्थय में सुधार लाने तथा जिंक एवं सलफर की कमी को घटाने के लिए हरी खाद तथा जैविक कृषि क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।
5. राज्य कृषि जलवायवीय जोन 2 के तहत आता है। इसकी 162 प्रतिशत फसलन सघनता को क्षमता के अनुसार 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

मध्य प्रदेश

1. रबी फसलों के तहत क्षेत्र 136 लाख हेक्टेयर होगा।
2. सरसों के तहत फोकस (केन्द्रित) क्षेत्र को 7.48 से बढ़ाकर 8.50 लाख हेक्टेयर किया जाएगा तथा सभी आदानों की व्यवस्था कर ली गई है। संकर बीजों का वितरण किया जाएगा।
3. 50 प्रतिशत क्षेत्र में सल्फर की कमी है तथा उपज एवं तेल अव्यव को बढ़ाने के लिए इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरसों के साथ-साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
5. कृषि उपज के विपणन के लिए लघु इकाइयां तैयार की जाएंगी।

6. गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की व्यवस्था की जाएगी। नकली कीटनाशकों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 किया जाएगा।

हरियाणा

1. राज्य ने अगले तीन वर्षों में जैविक खेती के तहत 1 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है।
2. उर्वरक आपूर्ति की कमी है।
3. फसल विविधिकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत अभियान से 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को चावल से कपास, बाजरा एवं दलहनों की ओर प्रतिस्थापित किया गया है।

राजस्थान

1. रबी मौसम में बुवाई के लिए 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. रबी मौसम का मुख्य जोर सरसों पर है तथा 30 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अच्छी वर्षा, बेहतर प्रचलित मंडी मूल्य, 3.78 लाख मिनी-किट के आबंटन से यह लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है तथा चना के साथ-साथ अंतर-फसलन पर जोर दिया जाता है।
3. राज्य के पास गेंहू एवं जौ का अधिशेष बीज है जिसे पड़ोसी राज्यों को प्रदान किया जा सकता है।
4. राज्य के एनएफएसएम तथा गैर-एनएफएसएम जिलों में गेहूं के बीज के मूल्य में अतंर है। गैर-एनएफएसएम जिलों के लिए 2000-2500 क्विंटल गेहूं के बीज के लिए समान सहायता प्रदान की जा सकती है।

गुजरात

1. गुजरात में खरीफ के दौरान कपास क्षेत्र कम था। इससे रबी के दौरान मूंगफली के तहत और अधिक अनुकूलित क्षेत्र प्राप्त होगा। तदानुसार योजना तैयार की गई है तथा सभी आदानों की व्यवस्था की गई है।
2. राज्य ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई स्कीमों का कार्यान्वयन किया है। ये ऑन-फार्म भंडारण, जैविक खेती तथा पशुपालन हैं।

महाराष्ट्र

1. अच्छी वर्षा को ध्यान में रखते हुए रबी की खेती के लिए 52 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिना किसी समस्या के सभी आदानों की व्यवस्था की गई है।
2. मृदा उर्वरता को उन्नत बनाने तथा ज्वार, बाजरा एवं चना के लिए क्षेत्र विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। एफएफएस की व्यवस्था की जाएगी।
3. विदर्भ तथा कोंकण क्षेत्र में टीआरएफए के तहत और अधिक क्षेत्र लाया जाना है। 28000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में 10 वर्ष से कम पुरानी चना की किस्मों की उपलब्धता कम है।

पंजाब

1. 1.60 लाख हेक्टेयर में चावल से कपास, बाजरा का फसल विविधीकरण किया गया है।
2. गेहूं, सरसों तथा सूरजमुखी के लिए क्रमश: 35 लाख हेक्टेयर, 40,000 हेक्टेयर तथा 7000 लाख हेक्टेयर का रबी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन फसलों के लिए एचवाईबी के बीज उपलब्ध हैं।
3. रबी मौसम के लिए उर्वरक आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।
4. चावल से बाजरा की ओर विविधीकरण के लिए किसानों को एमएसपी पर खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बिहार

1. जैविक खेती तथा जीरो टिलेज के लिए 13 जिलों को चुना गया है।
2. 13 लाख टन के इनडेंट के विपरित केवल 12.5 लाख टन यूरिया आबंटित की गई है अच्छी वर्षा तथा कृषि के तहत और अधिक क्षेत्र के कारण उर्वरक की मांग में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

छतीसगढ़

1. राज्य में जलाश्य भरे हुए हैं तथा रबी के बुवाई के लिए 18.50 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. अपलैंड भूमि को चावल की ओर विविधीकरण करके सरसों के तहत 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। इसके लिए मिनीकिट के रूप में 2000 क्विंटल बीज प्रदान किए जा सकते हैं।
3. राज्य में उर्वरक की कमी होने का अनुमान है।

झारखंड

1. 11.50 लाख हेक्टेयर का रबी क्षेत्र लक्षित है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
2. 1.36 लाख टन की आवश्यकता की तुलना में केवल 1 लाख टन उर्वरक का आबंटन किया गया है। कम से कम 1.25 लाख टन का आबंटन होना चाहिए।
3. सरसों के तहत 3.48 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को एचवाईवी के 11330 क्विंटल बीज की आावश्यकता है। केन्द्र को राज्य के लिए 6000 क्विंटल एचवाईवी बीज की व्यवस्था करना चाहिए।

ओड़िशा

1. राज्य ने रबी मौसम के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई है।
2. देर में बारिश के कारण तिलहन एवं दलहनों के लिए चावल परती क्षेत्र के उपयोग करने का अच्छा स्कोप है। 85-90 दिनोंवाली लघु आवधिक तिलहन किस्मों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. पीएमएफवीवाई में जंगली सुअर के मामले का समाधान निकालने की आवश्यकता है। पीएमएफवीवाई का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 अनुपात में किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल

1. रबी क्षेत्र 33 लाख हेक्टेयर पर लक्षित है जिसका मुख्य जोर बोरो चावल, सरसों तथा बाजरा पर है। समय पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक की व्यवस्था की जाएगी।
2. वशर्ते की राज्य को कृषि जलवायवीय जोन आधारित फसल योजना की अंतिम सिफारिश दी गई हो।

असम

1. सरसों के तहत संकर किस्मों के साथ 3 लाख हेक्टेयर पर बुवाई की जाएगी।
2. सूरजमखी की खेती के तहत छोटे क्षेत्रों को भी लाया जाएगा।
3. सरसों के लिए उपलब्ध बीज में 15 क्विंटल/हेक्टेयर से भी कम उपज क्षमता होती है। 20 क्विंटल/हेक्टेयर से कम के एचवाईवी की आपूर्ति के लिए सहायता हेतु केन्द्र से अनुरोध किया गया था।

कर्नाटक

1. 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के रूप में रबी क्षेत्र की योजना बनाई गई है।
2. रबी मौसम के दौरान मुख्य जोर सरसों एवं सूरजमुखी पर होगा। समय पर सभी आदानों की व्यवस्था की जाएगी।
3. एसएयू की तकनीकी सहायता के साथ-साथ जैविक खेती ट्रायल आयोजित किया जाएगा।
4. राज्य कदन्न एवं सुपर कदन्न को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
5. प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा।

केरल

1. राज्य रबी मौसम के लिए पूरी तरह तैयार है।
2. किसान पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती हेतु प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं।
3. पश्चिमी घाट पर जंगली सुअर की समस्या है तथा सहायता की संभावनाओं को खोजा जाना चाहिए।

तमिलनाडु

1. राज्य बीजों की आपूर्ति करने में सक्षम है लेकिन यहां पर उर्वरकों की कमी है।
2. तिलहनों के तहत और अधिक क्षेत्र के लिए वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी देनी चाहिए।
3. पीकेवीवाई में और अधिक कलस्टरों की आवश्यकता है।
4. यह सूचना प्राप्त हुई है कि बीमा कंपनिया पीएमएफवीवाई में भाग नहीं लेती हैं।

आंध्र प्रदेश

1. रबी मौसम के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई गई है।
2. उच्चतर उत्पादन हेतु सिंचाई प्रदान करने के लिए जलाशय भरे हुए हैं।

तेलंगाना

1. धान से सरसों एवं मूगंफली की ओर फसल विविधीकरण की योजना है। सभी फसलों के लिए पर्याप्त आदान उपलब्ध हैं।
2. राज्य में खरीफ के लिए 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है तथा रबी में 61.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बुवाई की जाएगी।
3. 11 लाख एमटी की मांग की तुलना में और अधिक उर्वरकों की आवश्यकता है जबकि राज्य को 8 लाख एमटी प्राप्त हुआ है।

उतराखंड

1. रबी मौसम के लिए सभी आदानों की व्यवस्था की गई है।
2. राज्य में जैविक खेती के तहत 1,56,000 हेक्टेयर क्षेत्र है तथा मौजूदा वर्ष के दौरान इसके तहत 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया जाएगा।
3. गांव में प्रवासिओं की वापसी हुई है तथा परती भूमि पर दलहनों की कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहनों एवं दलहनों में 10-20 प्रतिशत अधिक उत्पादन का अनुमान है।
4. एनएससी अथवा किसी अन्य एजेंसी से पूसा सरसों-30 के 120 क्विंटल बीज की व्यवस्था की जा सकती है।

सिक्किम

1. यह राज्य जैविक शहद के लिए जाना है।
2. सरसों के साथ-साथ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
3. एनबीएचएम के तहत राज्य के लिए मधुमक्खी के साथ-साथ सरसों की खेती के वास्तविक लक्ष्य में भी वृद्धि की जा सकती है।

मेघालय

1. राज्य ने रबी मौसम के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाई है।
2. एमओवीसीडीएनईआर के तृतीय चरण पर कार्य किया जा सकता है।

नागालैंड

1. राज्य में एनएफएसएम तथा राज्य की स्कीमों के तहत सरसों की खेती के लिए 27,600 हेक्टेयर क्षेत्र भी है।

मिजोरम

1. राज्य लंबे समय से लंबित माल ढुलाई सब्सिडी के कारण वित्तीय समस्या का सामना कर रहा है।
2. आईएफएफसीओ से राज्य को डीओपी एवं एमओपी की आपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है।

अरूणाचल प्रदेश

1. राज्य ने रबी फसलों के लिए आदानों की योजना बनाई है।
2. राज्य में एनएफएसएम के तहत तिलहनों के लिए मिनीकिट उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जम्मू एवं कश्मीर

1. रबी के दौरान मुख्य जोर गेहूं, तिलहन एवं ओट्स पर होगा। इन फसलों के लिए पर्याप्त बीज उपलब्ध हैं।
2. संघ राज्य क्षेत्र जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है तथा किसान जैविक कृषि को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि इसका मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

लद्दाख

1. संघ राज्य क्षेत्र में रबी फसलों के लिए आदानों की कोई कमी नहीं है तथा ये गेहूं, जौं तथा ओट्स पर ध्यान दे रहे हैं।

गोवा

1. राज्य के पास रबी फसलों की आदानों के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है।
2. राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3. जंगली पशु एक बड़ा मुद्दा है तथा इसका समाधान खोजा जाना चाहिए।

*****